UPVR010052452026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), कोर्ट संख्या–02, वाराणसी।

उपस्थितः– रचना सिंह (एच 0 जे0 एस 0)

(जे0 ओ 0 कोड–यू0 पी0–1644)

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1741 सन् 2026

शमशेर अली पुत्र जाहिर अली निवासी म०नं० 86 ई इन्दलपुर, थाना नैनी, जनपद इलाहाबाद।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजन पक्ष।

मु०अ०सं०–215/2012
धारा–3/5A/8 गोवध नि०अधि० तथा 11 पशु क्रूरता अधि०
थाना–मिर्जामुराद, जिला–वाराणसी।

दिनांक–29.06.2026

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **शमशेर अली** पुत्र जाहिर अली निवासी म०नं० 86 ई इन्दलपुर, थाना नैनी, जनपद इलाहाबाद की ओर से अपराध संख्या 215/2012, अन्तर्गत धारा 3/5A/8 गोवध नि०अधि० तथा 11 पशु क्रूरता अधि० थाना मिर्जामुराद, जनपद–वाराणसी में जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि अभियोजन कथानक के अनुसार एस०ओ० अमित कुमार मय हमराहियान के साथ देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन क्षेत्र में मामूर थे। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके मुखबिर खास को साथ लेकर साधु कुटिया तिराहे पर आने वाले ट्रकों का इंतजार करने लगे। ट्रकों को आता देखकर वाहन को रोकने का प्रयास किया गया। आगे वाला ट्रक यू०पी० 75 ए० 3732, जिसमें ड्राइवर की सीट पर बैठा संतोष कुमार तिवारी पुत्र संगम लाल निवासी टिकोरी, इलाहाबाद बताया, जिसके ट्रक में 2 बैल, 22 राशि गाय, सभी गोवंश क्रूरता पूर्वक बंधे थे। दूसरे ट्रक यू०पी० 70 ए०टी० 7022 के ड्राइवर की सीट पर बैठा शमशेर अली पुत्र जाहिर अली निवासी उपरोक्त के ट्रक में 1 गाय, 18 राशि बैल, 3 बछड़ा, सभी गोवंश क्रूरता हेतु रस्सी से बंधे थे। तीसरे ट्रक यू०पी० 70 बी०टी० 5699 में 21 राशि बैल काले–सफेद रंग के क्रूरता पूर्वक सबके पैर व मुंह को निर्दयता पूर्वक बांधा गया था। मुंह से झाग आ रहा था, मवेशी हांफ रहे थे और छटपटा रहे थे। मौके पर फर्द बरामदगी तैयार की गयी। वाहन चालकों को रोककर गवाही के लिए कहा गया, किन्तु कोई तैयार नहीं हुआ।

3. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को थाना मिर्जामुराद की पुलिस उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में मुल्जिम बना दिया है जबकि प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त की यह द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके पहले किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायलय में न दाखिल है, न लम्बित है, न निस्तारित है। प्रार्थी के खिलाफ माननीय न्यायालय

Digitally signed by Rachana Singh
Date: 2026.06.29 14:59:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

के द्वारा जारी गैर जमानतीय वारण्ट की जानकारी नहीं थी और न ही माननीय अवर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना किया है। उपरोक्त अभिवचन करते हुए याचना की गयी है कि उक्त परिस्थितियों में प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

4. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र शपथ पत्र से समर्थित है। प्रार्थनापत्र के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा आरोप पत्र की फोटो प्रति संलग्न की गयी है।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है, ऐसे में अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये। संबंधित थाने द्वारा मामले से संबंधित आख्या प्रस्तुत की गयी है, जो पत्रावलित है।

6. जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) के तर्कों को सुना गया तथा अभिलेख का सम्यक परिशीलन किया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त हैं। अभियुक्त पर क्रूरता पूर्वक एक–दूसरे के ऊपर चढ़ाकर सिर, पैर व शरीर को रस्सी से बांधकर एक गाय व 18 बैल तथा 3 बछड़े, जिनके मुंह से झाग निकल रहे थे तथा हांफ व छटपटा रहे थे, को वध हेतु ले जाने का अभियोग है। अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। प्रस्तुत मामले में आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है तथा प्रस्तुत आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। आरोपपत्र प्रेषित होने के बाद अभियुक्त उपस्थित नहीं आ रहा था अतः वर्तमान में अभियुक्त के विरुद्ध गैर–जमानती वारंट जारी किये जाने का आदेश पारित किया गया है। अभियुक्त की ओर से पूर्व में उपस्थित आकर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय द्वारा दिनांक 13.03.2023 को निरस्त किया गया था। फिर भी अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं आया व उसके द्वारा पुनः यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। इस प्रकार प्रकरण में यदि अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाती है, तो यह न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में होगा। वर्तमान स्तर पर न्यायालय के सम्मुख प्रकरण को मिथ्या माने जाने का कोई आधार नहीं है। न्यायालय के सम्मुख ऐसा कोई आधार नहीं है, जिससे यह निष्कर्ष प्राप्त किया जा सके कि अभियुक्त के विरुद्ध द्वेषपूर्ण भावना के अंतर्गत मिथ्या अभियोजन कथानक को अंकित कराते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों व अपराध की प्रकृति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के मत में प्रार्थी/अभियुक्त की अग्रिम जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **शमशेर अली** का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र, मु.अ.सं. 215/2012, अन्तर्गत धारा 3/5A/8 गोवध नि०अधि० तथा 11 पशु क्रूरता अधि० थाना मिर्जामुराद, जनपद–वाराणसी के प्रकरण में **निरस्त** किया जाता है।

(श्रीमती रचना सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),
न्यायालय संख्या–02, वाराणसी
जे0 ओ 0 कोड–यू0 पी0 1644

रितिक कुमार (आशुलिपिक)